अभियुक्ति

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खोरीमहुआ (गिरिडीह)।

भू–हदबंदी वाद सं0–03/2014–15

श्री देवकी महतो बनाम श्री चिन्तामणी यादव एवं अन्य

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई
30-04-2025		

अभिलेख उपस्थापित।

यह वाद प्रथम पक्ष की देवकी महतो, पिता–स्व० गोपाल यादव, साकिन–नयकाडीह, धनवार की ओर से भू–हदबंदी अधिनियम की धारा 16(3)(i) के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में लाया गया है।

भूमि की विवरणी निम्नवत् है।

अंचल	मौजा	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	अभ्युक्ति
धनवार	**नयकाडीह**	**02**	**230**	**0.01 ए०**	

वाद अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि वाद काफी पुराना अर्थात 2014–15 से लंबित है। प्रथम पक्ष जो कि इस वाद के याचिकाकर्त्ता है स्वयं काफी लंबे समय से इस वाद में अनुपस्थिति है। उनकी ओर से संबंधित अधिवक्ता के द्वारा भी किसी प्रकार की पैरवी नहीं की जा रही है। ऐसे में प्रतीत होता है कि प्रथम पक्ष का इस वाद में अभिरूचि नहीं है।

विपक्षी सं०–(2) सीताराम चौधरी की ओर से कहा गया कि –

(i) प्रश्नगत भूमि आवासीय योग्य है जिसका रकवा मात्र 01 डी है, यह रिहायसी क्षेत्र में जहाँ यह वाद लागू नहीं होता है।

(ii) कि – उक्त प्रश्नगत भूमि मकान युक्त क्रय किया है जिसपर वह (OP No. - 2) वर्तमान में दुकान चलाते हैं। बिक्री विलेख में भी स्थल के मकानयुक्त होने की पुष्टि हुई है। इस प्रकार द्वितीय पक्ष के द्वारा यह

30.4.2025 Contd

वाद Maintainable होने तथा वादी (प्रथम पक्ष) के द्वारा Pre-emption Right न होने की बात कहते हैं तथा वाद को इस आधार पर निरस्त करने हेतु आग्रह करते हैं।

प्रतिवादी सं०–2 को सुना तथा अभिलेख में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं दलीलों का अवलोकन किया एवं द्वितीय पक्ष के दावा को सही पाया।

इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर यह वाद Maintainable न होने के कारण प्रथम पक्ष के दावा को खारिज किया जाता है। आदेश की एक प्रति अंचल कार्यालय, धनवार को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित किया जाता है। वाद की अग्रेतर कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

30/4/2025

भुमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खोरीमहुआ।

30/4/2025

भुमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खोरीमहुआ।

Digitally signed by SUNIL KUMAR PRAJAPATI
Date: 2025.05.22 16:20:51 +05:30
Location: 192.168.31.189